क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र

REGIONAL PLAN-2021

ADDITIONAL AREAS OF NATIONAL CAPITAL REGION

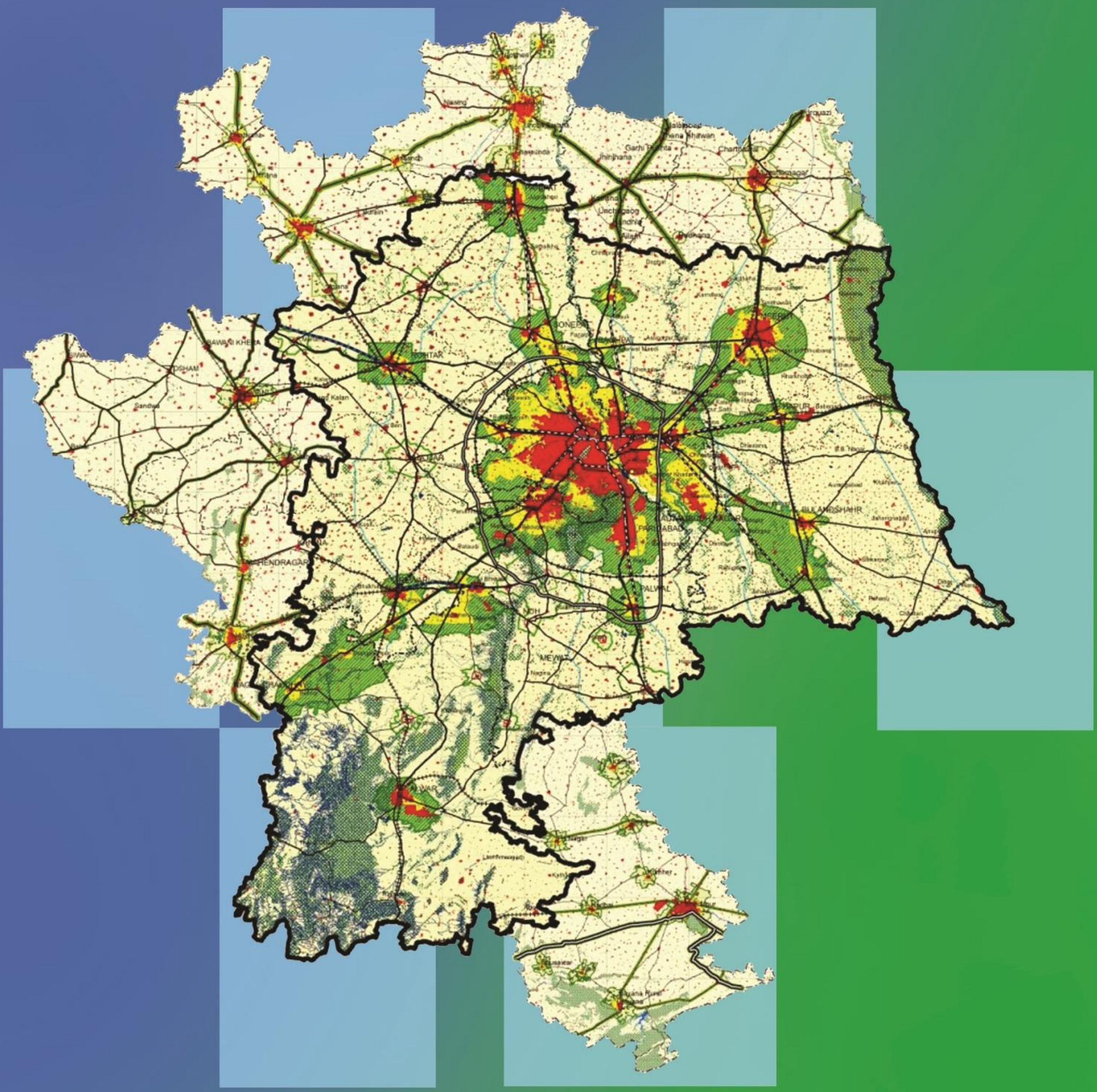

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

क्षेत्रीय योजना 2021
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र

दिनांक 17.09.2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना-2021 का परिशिष्ट/उपान्तर

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 13 सितम्बर, 2019 को हुई 38वीं बैठक मे अनुमोदित और 28, नवम्बर 2019 को अधिसूचित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
कोर 4-बी प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

पृष्ठभूमि

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 10 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना (आरपी-2021) तैयार की गई है जिसे 17 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया।

2. दिनांक 17.09.2005 की आरपी-2021 की अधिसूचना के पश्चात भारत सरकार के दिनांक 01.10.2013 की राजपत्र अधिसूचना के तहत अतिरिक्त जिलों अर्थात हरियाणा राज्य के भिवानी (चरखी दादरी सहित) और महेन्द्रगढ़ जिलों तथा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की राजपत्र अधिसूचना के तहत हरियाणा राज्य के जींद तथा करनाल जिलों और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्रफल अब 20,939 वर्ग किमी है। इसके अतिरिक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मौजूदा पांच काउंटर मैग्नेट एरिया (सीएमए) के अलावा चार नए सीएमए अर्थात हरियाणा में अम्बाला, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा राजस्थान में जयपुर को भी चिन्हित किया गया और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सात नए जिलों को शामिल किए जाने के उपरांत क्षेत्रीय योजना-2021 को तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके भागस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय भूउपयोग के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) भारत सरकार को सौंपा गया।

4. आरंभ में, उल्लेखनीय है कि चूंकि अधिसूचित आरपी-2021 में समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नीतियों एवं प्रस्तावों का प्रावधान किया गया है इसलिए आरपी-2021 की नीतियां एवं प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तारित नए क्षेत्र अर्थात भिवानी (चरखी दादरी सहित) महेन्द्रगढ़, जींद, करनाल, भरतपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों पर भी लागू होंगे। तथापि, एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत आरपी 2021 में परिवर्तन किए जा सकते हैं और तदनुसार अतिरिक्त जिलों के समावेशन के संबंध में एनसीआरपीबी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए तथा इसका मूल्यांकन करते हुए अतिरिक्त जिले के संबंध में आरपी-2021 का एक परिशिष्ट तैयार किया गया।

एनसीआरपीबी अधिनियम,1985 की धारा 14(1) को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः-

> *"बोर्ड, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में ऐसे उपान्तर कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। वे उपान्तर ऐसे होंगे जिनसे उसकी राय में, क्षेत्रीय योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और जो भूमि के उपयोगों के विस्तार से या जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित नहीं है।"*

5. इस परिशिष्ट के विभिन्न अध्यायो के मानचित्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के संदर्भ मे प्रयोग किए जाए। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुराने क्षेत्रों के लिए, 17.9.2005 को अधिसूचित, क्षेत्रीय योजना-2021 का संदर्भ लिया जाए।

अध्यायवार परिशिष्ट/ उपान्तर निम्नलिखित हैं:-

अध्याय 1: प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा एनसीआरपीबी अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना (आरपी-2021) तैयार की गई है जिसे 17 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया।

2. दिनांक 17.09.2005 की आरपी-2021 की अधिसूचना के पश्चात भारत सरकार के दिनांक 01.10.2013 की राजपत्र अधिसूचना के तहत अतिरिक्त जिलों अर्थात हरियाणा राज्य के भिवानी (चरखी दादरी सहित) और महेन्द्रगढ़ जिलों तथा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.11.2015 के तहत हरियाणा राज्य के जींद तथा करनाल जिलों और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्रफल 20,939 वर्ग किमी है।

अध्याय 2: क्षेत्र

पैरा 2.1 निम्नवत पढ़ा जाएः

2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

क) दिल्ली राजधानी क्षेत्र (1,483 वर्ग किमी):- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 3% है।

ख) हरियाणा उप-क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, नुह (मेवात), पानीपत, महेन्द्रगढ़, भिवानी (चरखी दादरी सहित) जींद तथा करनाल जिले शामिल हैं। यह राज्य के क्षेत्रफल का 57.25% (25,327 वर्ग किमी) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रफल का 46% है।

ग) राजस्थान उप-क्षेत्र जिसमें अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4% (13,447 वर्ग किमी) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रफल का 24% है।

घ) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र जिसमें सात जिले अर्थात मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं। यह राज्य के क्षेत्रफल का 6% (14,826 वर्ग किमी) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रफल का 27% है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 55,083 वर्ग किमी है। जैसा कि मानचित्र 2.1क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतिरिक्त क्षेत्रों सहित) संघटक क्षेत्र में दर्शाया गया है|

2.2 प्राकृतिक स्थापन

धारा 2.2 के लिए पैरा 1 निम्नवत पढ़ा जाएः

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र $26^0$42’ आर $29^0$59’ उत्तरी अक्षांश तथा $75^0$28’ और $78^0$29’ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (पूर्ववर्ती दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाग शामिल हैं। मानचित्र 2.2क में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतिरिक्त क्षेत्रों सहित) में भू-आकृति और ढाल प्रस्तुत किया गया है।

2.3 भू-विज्ञान - शैल विज्ञान संबंधी मानचित्र 2.3क में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भू-विज्ञान को प्रदर्शित किया गया है।

2.4 भू-आकृति विज्ञान - भू-आकृति इकाइयों से संबंधित मानचित्र 2.4क में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भू-आकृति विज्ञान को प्रदर्शित किया गया है।

2.5 जल विज्ञान और भूमिगत-जल की उपलब्धता - भूमिगत-जल की संभावनाओं से संबंधित मानचित्र 2.5क में भूमिगत-जल की उपलब्धता को प्रदर्शित किया गया है।

Map 2.1A National Capital Region (including Additional Areas): Constituent Areas

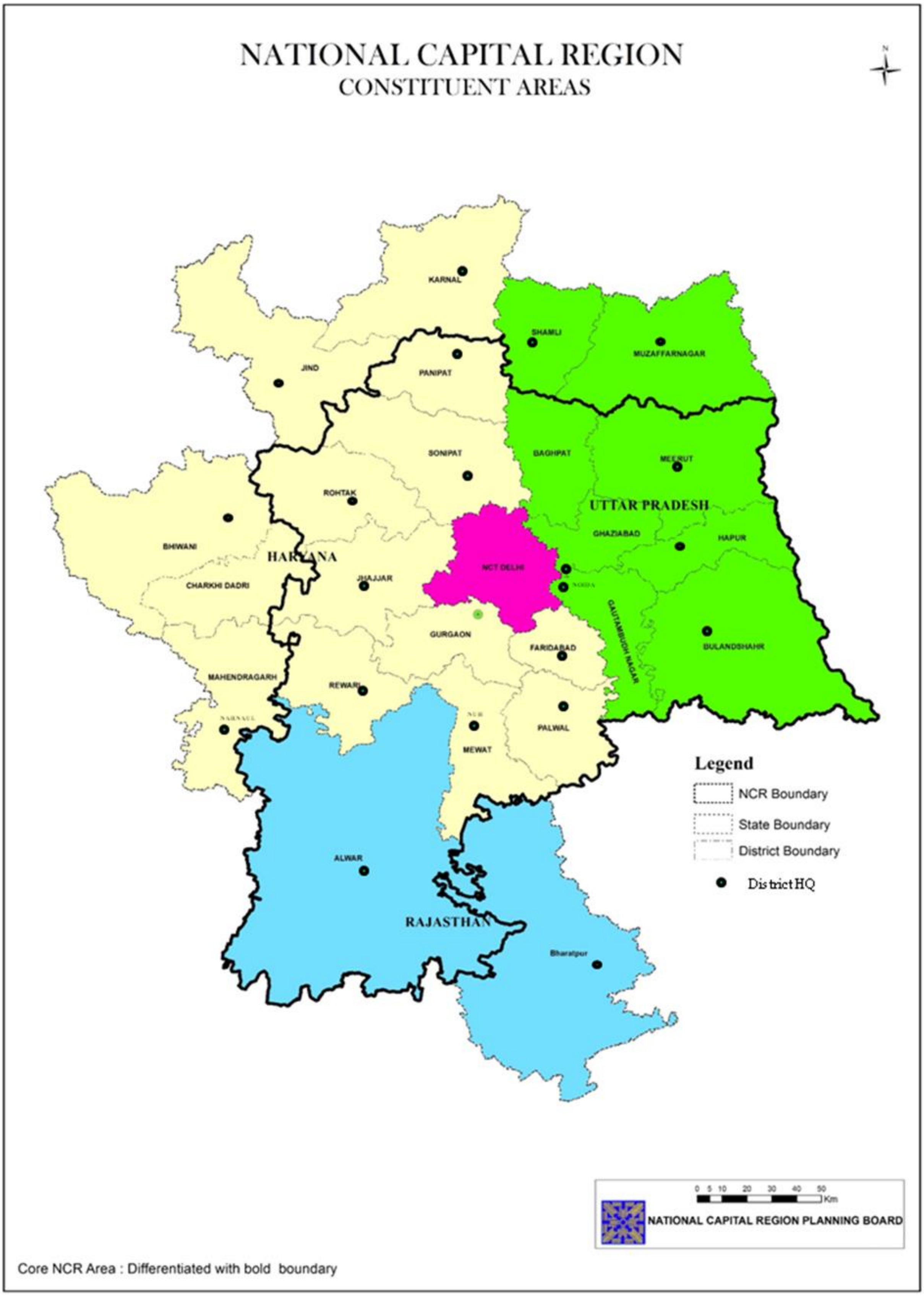

Map 2.2A National Capital Region (including Additional Areas): Physiography and Slope

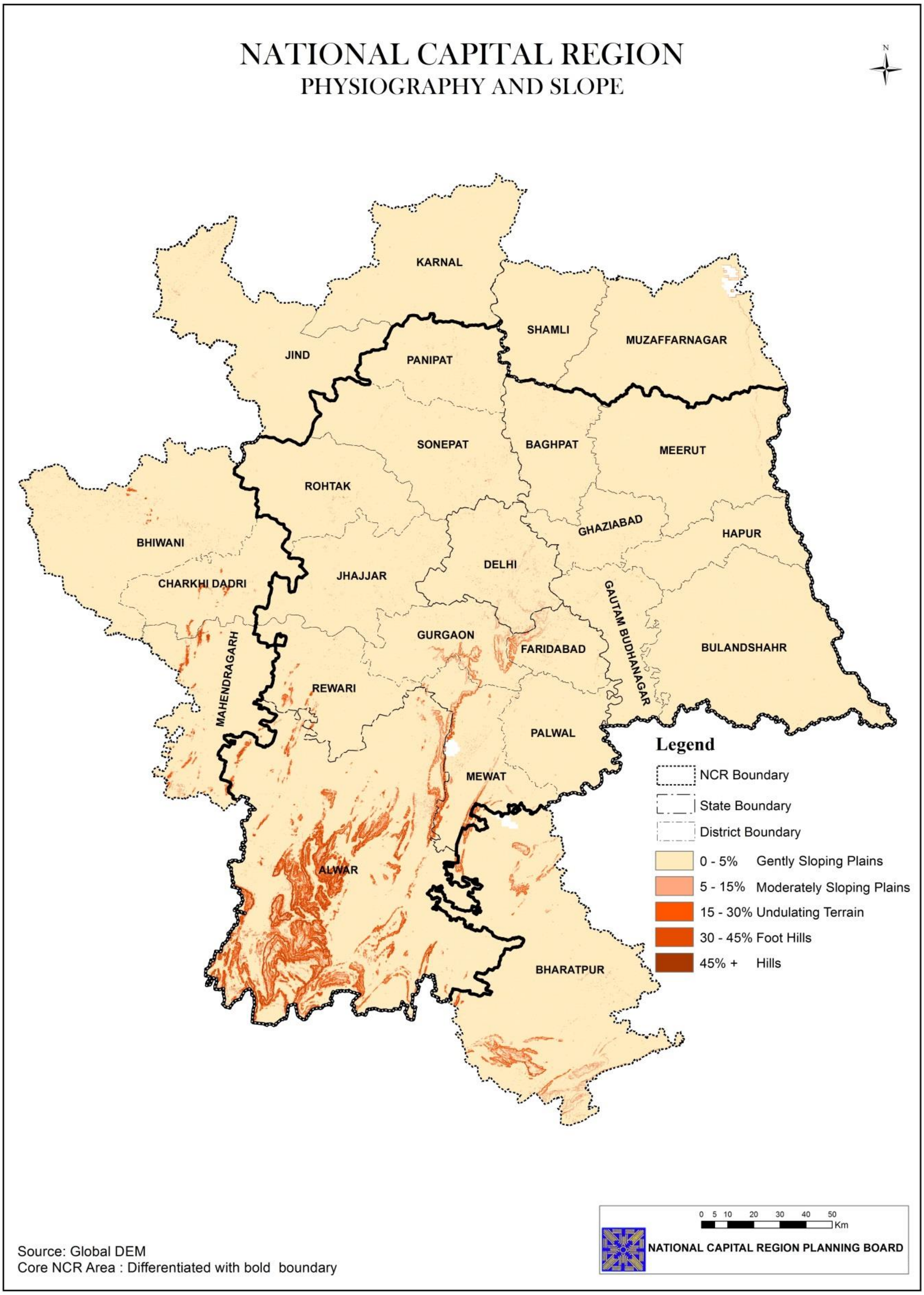

Note: Map to be referred for additional areas only.

Map 2.3A National Capital Region (including Additional Areas): Lithology

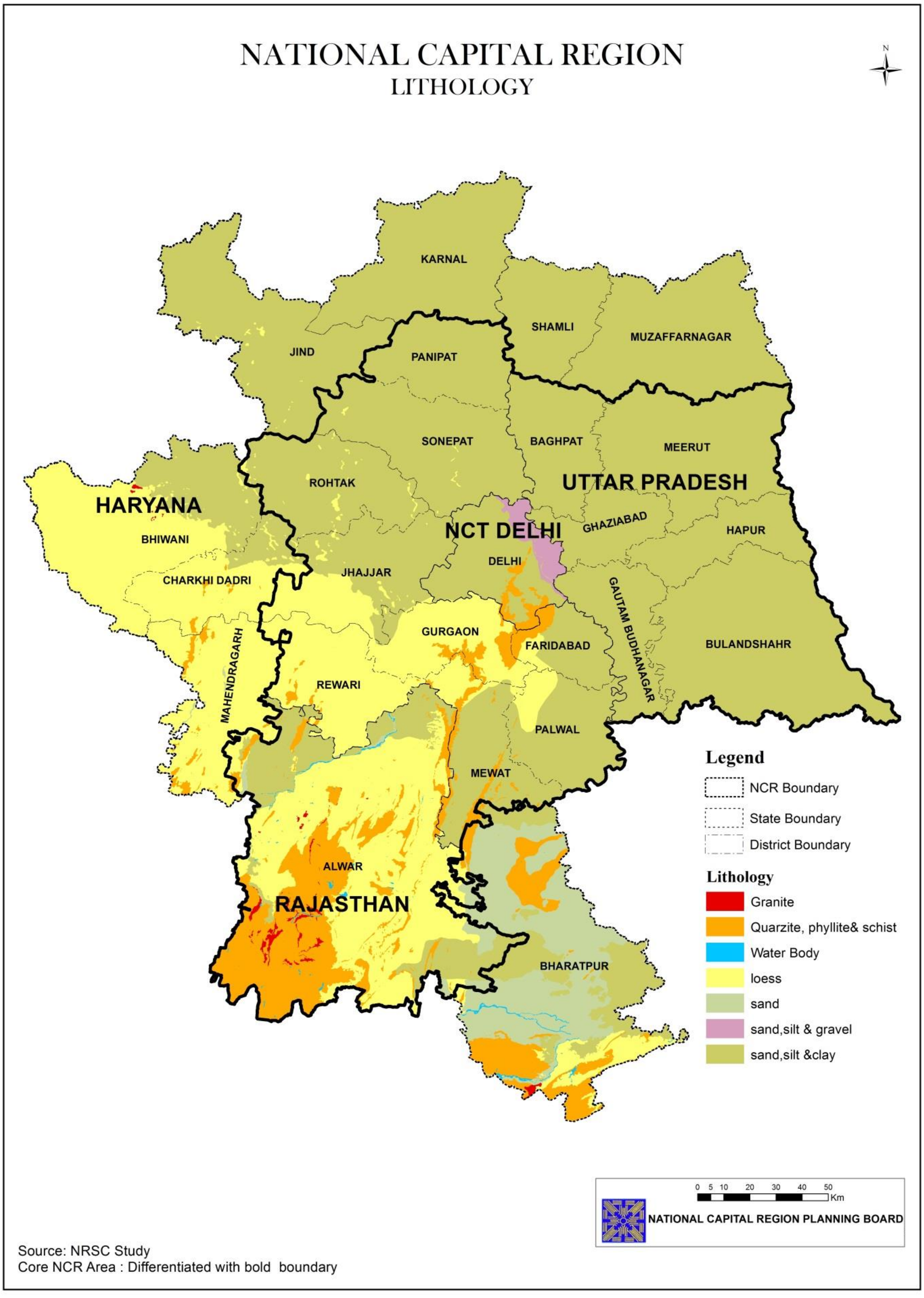

Note: Map to be referred for additional areas only.

Map 2.4A National Capital Region (including Additional Areas): Geomorphology

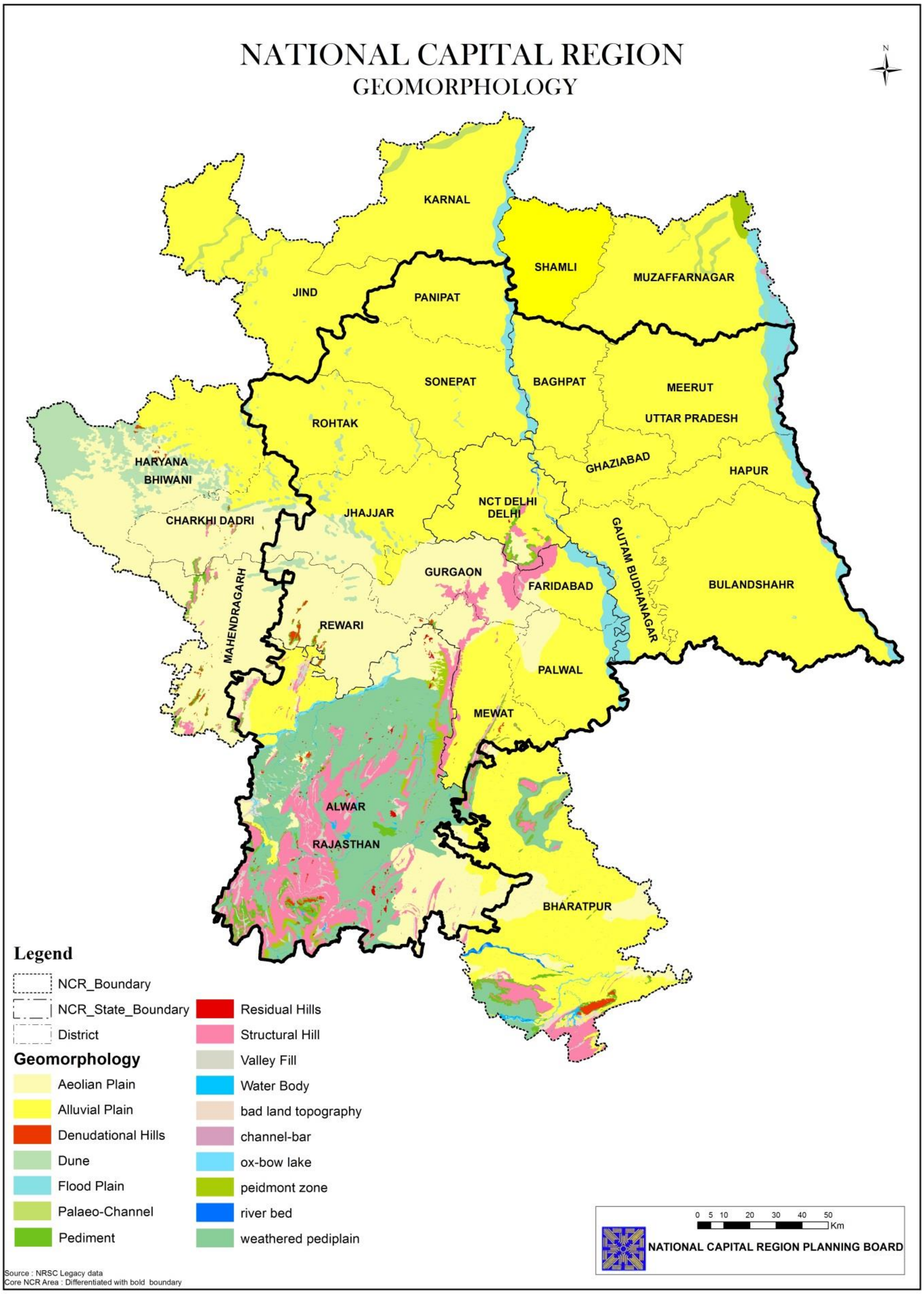

Note: Map to be referred for additional areas only.

Map 2.5A National Capital Region (including Additional Areas): Ground Water Prospects

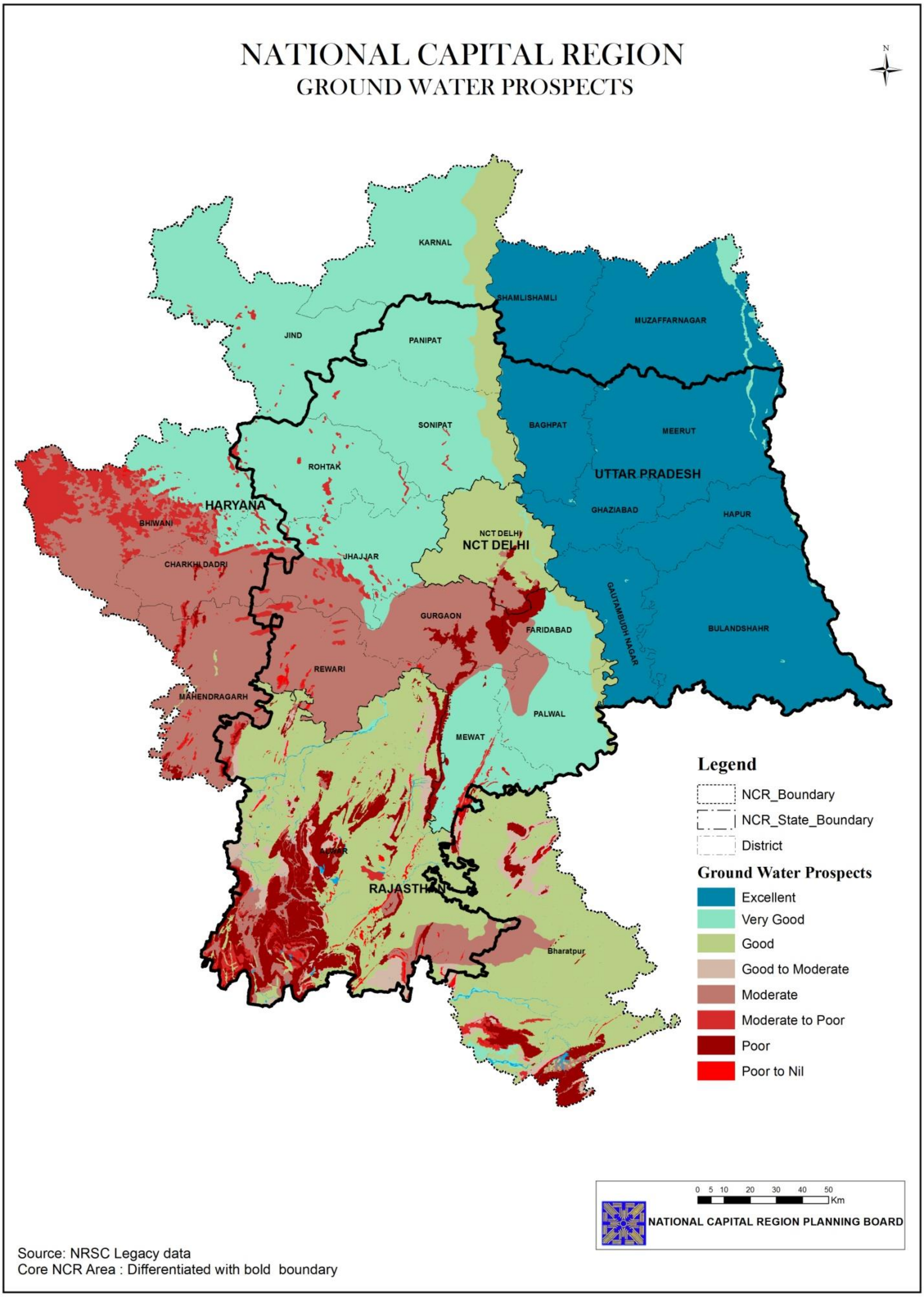

Note: Map to be referred for additional areas only.

अध्याय 3: लक्ष्य, उद्देश्य और नीति क्षेत्र

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 3.2 में भावी विकास के लिए उल्लिखित नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए जारी रहेंगी। अतिरिक्त क्षेत्र शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नीति क्षेत्र के तहत आता है और शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में पैरा 3.2.4 पर दी गई नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू होंगी।

मानचित्र 3.1(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नीति क्षेत्र को प्रस्तुत किया गया है।

पैरा 3.2.3 राजमार्ग कारीडोर क्षेत्र मे निम्नलिखित जोड़े जाएं

राजमार्ग कॉरीडोर क्षेत्र (एचसीजेड) हरियाणा के उप-क्षेत्र के भिवानी (चरखी दादरी सहित) महेन्द्रगढ़, जींद तथा करनाल जिलों और राजस्थान उप-क्षेत्र के भरतपुर जिले तथा उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच 44, 52, 152, 352, 709ई, 709ए, 334-बी, 11, 148-बी, एनएच-21 और एनएच 123, एनएच-119 और एनएच 58) के साथ प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 3.2.3 में प्रदत्त एचसीजेड और हरित बफर से संबंधित नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए लागू हैं परन्तु अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए आरपी-2021 के परिशिष्ट/परिवर्तन को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व अधिसूचित मौजूदा सम्यक रूप से अनुमोदित विकास/मास्टर प्लान पर लागू नहीं होंगी।

3.2.4 शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पैरा को निम्नवत पढ़ा जाएः

शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (करीब 51,300 वर्ग किमी) में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 की मूलभूत नीति जारी रहेगी। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर अवसंरचना का पर्याप्त रूप से उन्नयन किया जाना होगा (राज्य सरकार और केन्द्र दोनों द्वारा) जिससे कि इन क्षेत्रों में विशेषकर चिन्हित क्षेत्रों अर्थात मेट्रो केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों में विकास किया जा सके। इससे ये क्षेत्र आर्थिक और अनुषंगी कार्यकलापों को अवस्थित करने तथा निजी क्षेत्र के निवेश को आकृष्ट करने के लिए अधिक आकर्षक बन जाएंगें।

Map 3.1A National Capital Region (including Additional Areas): Policy Zones

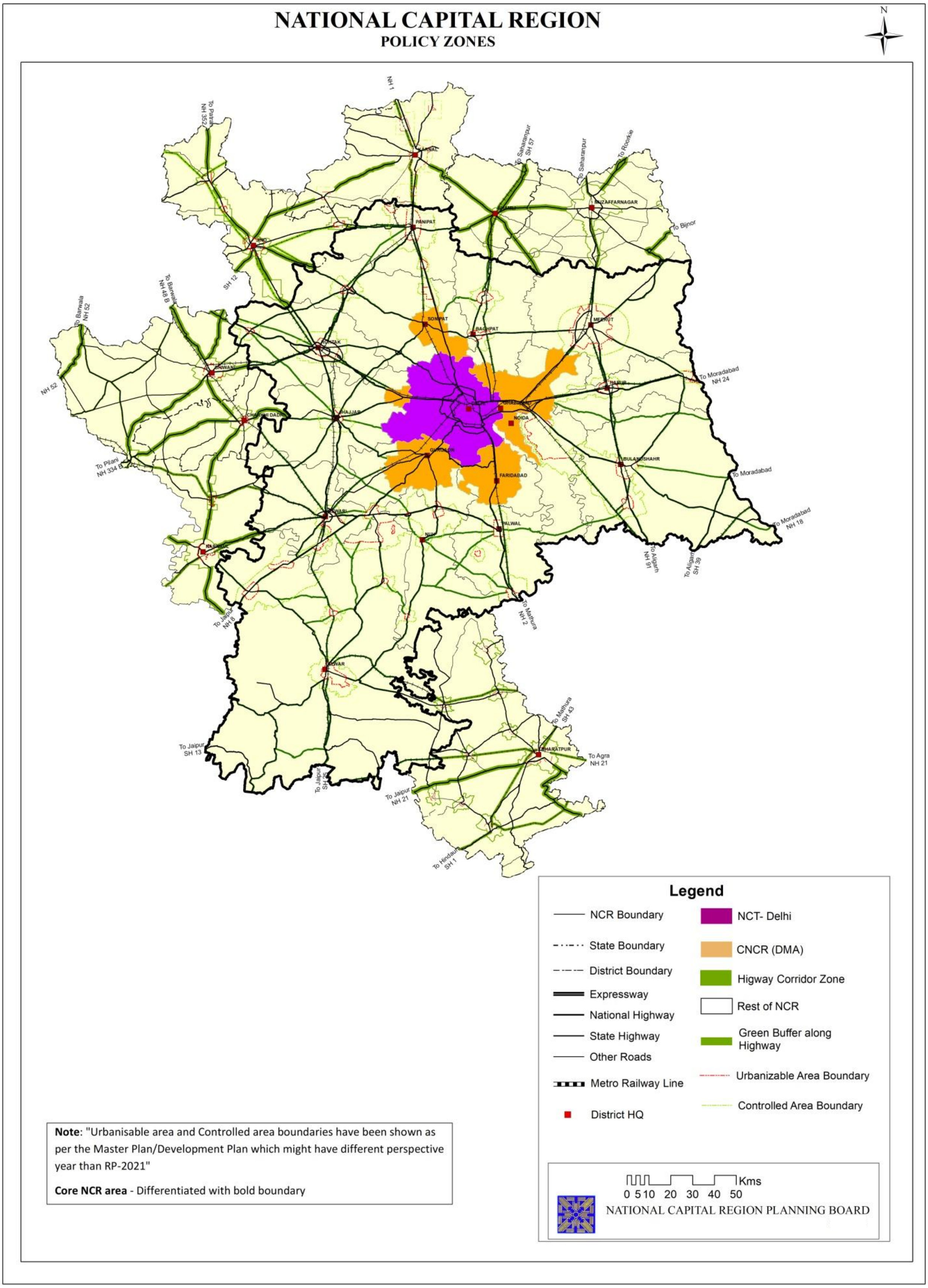

Note: Map to be referred for additional areas only.

अध्याय 4: जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सेटल्मेंट पैटर्न

क्षेत्रीय योजना-2021 की तालिका 4.2 के नीचे पैरा 4.2.1 में निम्नलिखित तालिकाएं जोड़ी जाएं:-

4.2.1क. तालिका 4.2(क) से प्रकट होता है कि अतिरिक्त क्षेत्रों की दशकीय वृद्धि दर में कमी आयी है जहां भरतपुर जिले में 6% की गिरावट आई है। हरियाणा के अतिरिक्त क्षेत्र में हरियाणा की कुल आबादी का 21.3% है।

तालिका 4.2(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जनसंख्या का उप-क्षेत्र वार विवरण

अतिरिक्त क्षेत्र	जनसंख्या			दशकीय वृद्धि दर (%)		जनसंख्या का भाग (%)		
वर्ष	1991	2001	2011	1991-2001	2001-2011	1991	2001	2011
हरियाणा	3861093	4701553	5396009	21.8	18	23.5	22.2	21.3
राजस्थान	1650724	2101142	2548462	27.3	21.3	3.8	3.7	3.7
उत्तर प्रदेश	2843000	3543362	4143512	24.7	21.1	2.0	2.1	2.1

स्रोतः जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

तालिका 4.3(क) से प्रकट होता है कि 2001-2011 के दौरान शहरी जनसंख्या में नए शामिल किए गए क्षेत्रों के लिए करीब 2% की वृद्धि हुई है।

तालिका 4.3(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जनसंख्या के शहरी ग्रामीण घटकों का उप-क्षेत्रवार विवरण

शहरी ग्रामीण घटक/वर्ष	जनसंख्या		हिस्सेदारी (%)	
	2001	2011	2001	2011
एनसीआर के कुल अतिरिक्त क्षेत्र	10346057	12087983	100.00%	100.00%
शहरी	2272290	2900981	21.96%	24.00%
ग्रामीण	8073767	9187002	78.04%	76.00%

स्रोतः जनगणना 2001 और 2011

तालिका 4.4 (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व (2001-2011)

उप-क्षेत्र/अतिरिक्त क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या		घनत्व (वर्ग किमी)	
		2001	2011	2001	2011
हरियाणा क्षेत्र	11899	4701553	5396009	395	453
राजस्थान क्षेत्र	5067	2101142	2548462	415	503
उत्तर प्रदेश क्षेत्र	3973	3543362	4143512	892	1043

स्रोतः जनगणना 2001 और 2011

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व 1043 पीपीएच है जो अधिकतम है। हरियाणा के अतिरिक्त क्षेत्रों का घनत्व न्यूनतम 452 पीपीएच है, जबकि राजस्थान (अलवर जिला) के अतिरिक्त जिले का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के शेष उप-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है।

4.2.2 (क) अतिरिक्त क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धिः

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। जींद में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में करीब 9.3% की गिरावट आई है जिसके बाद भिवानी (चरखी दादरी सहित) (7.81%) है। न्यूनतम गिरावट करनाल जिल (5%) में देखी गई है। केवल मुजफ्फरनगर (शहरी) तथा करनाल (शहरी) मामले में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 2.5% तथा 5.7% बढी है।

तालिका 4.12(क) अतिरिक्त क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि, 1991-2011

अतिरिक्त क्षेत्र		**जनसंख्या (संख्या में)**			**वृद्धि दर (% में)**	
		1991	**2001**	**2011**	**1991-2001**	**2001-2011**
हरियाणा	ग्रामीण	3152314	3742105	4181439	18.71	11.74
	शहरी	708779	959448	1214570	35.37	26.59
	कुल	**3861093**	**4701553**	**5396009**	**21.77**	**14.77**
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	2143313	2639480	2952200	23.15	11.85
	शहरी	699230	903882	1191312	29.27	31.8
	कुल	**2842543**	**3543362**	**2863798**	**19.2**	**13.5**
राजस्थान	ग्रामीण	1336759	1692182	2053363	26.6	21.3
	शहरी	313965	408960	495099	30.3	21.1
	कुल	**1650724**	**2101142**	**2548462**	**27.3**	**21.3**

स्रोतः भारत की जनसंख्या 1991, 2001 तथा 2011

4.2.3 (ख) 2021 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए जनसंख्या अनुमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के वर्ष 2021 के लिए जनसंख्या अनुमान तालिका 4.12ख में दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों की जनसंख्या वर्ष 2021 तक 154.22 लाख होने का अनुमान है। हरियाणा उप-क्षेत्र (अतिरिक्त 4 जिले) की हिस्सेदारी: 72.99 लाख, राजस्थान उप-क्षेत्र (अतिरिक्त एक जिला): 31.49 लाख और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (अतिरिक्त 2 जिले) वर्ष 2021 तक 49.73 लाख.

तालिका 4.12(ख): 2021 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों की उप-क्षेत्रवार ग्रामीण शहरी अनुमानित जनसंख्या

क्रम सं.	**अतिरिक्त क्षेत्र**		**2011**	**2021**
1.	**हरियाणा**	**कुल**	**5396009**	**7299196**
		ग्रामीण	4181439	5496386
		शहरी	1214570	1802810
2.	**उत्तर प्रदेश**	**कुल**	**4143515**	**4973645**
		ग्रामीण	2952200	3213957
		शहरी	1191312	1759689
3.	**राजस्थान**	**कुल**	**2548462**	**3149964**
		ग्रामीण	2053363	2478695
		शहरी	495099	671269
	कुल अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	कुल	**12087983**	**15422805**
		ग्रामीण	9187002	11189038
		शहरी	2900981	4233768

स्रोतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनसंख्या अनुमान 2016-2041 के संबंध एनसीआरपीबी अध्ययन

4.3.1 (क) अतिरिक्त क्षेत्रों में शहरी सेटलमेंट

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार नए जिलों को जोड़ने से पहले 168 के मुकाबले इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर 231 शहरी बस्तियां है। नए जोड़े गए जिलों में शहरी केन्द्रों की वर्तमान बनावट तालिका 4.13(क) में दी गई है।

तालिका 4.13(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में शहरी सेटलमेंट

उप-क्षेत्र वार	जिला	वर्ग I (1 लाख+)	वर्ग II (50,000-99,999)	वर्ग III (20,000-49,999)	वर्ग IV (10,000-19,999)	वर्ग V (5,000-9,999)	वर्ग VI (5,000 से नीचे)	कुल
हरियाणा	भिवानी (चरखी दादरी सहित)	1	1	1	2	-	-	**5**
	जींद	1	1	1	2	1	-	**6**
	करनाल	1	-	3	3	-	1	**8**
	महेन्द्रगढ़	-	1	1	1	-	2	**5**
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर (शामली सहित)	2	3	11	9	2	-	**27**
राजस्थान	भरतपुर	1	-	6	3	1	-	**11**

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 27 शहरी सेटलमेंट हैं उसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र में 24 तथा राजस्थान उप-क्षेत्र में 11 शहरी सेटलमेंट हैं। हरियाणा उप क्षेत्र में वर्ग-1 के 3 शहरी केन्द्र हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 2 तथा राजस्थान उप-क्षेत्र में 1 शहरी केन्द्र हैं।

4.3.2 (क) अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रामीण सेटलमेंट

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न आकारों की 3924 ग्रामीण सेटलमेंट के मुकाबले 4147 ग्रामीण सेटलमेंट थीं। विगत दशक के दौरान मुजफ्फरनगर जिले को छोड़कर ग्रामों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या जो 2001 में अतिरिक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या की 78% थी वर्ष 2011 में घटकर 76% हो गई है।

4.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में जनसंख्या के साथ सेटलमेंट का प्रस्तावित सोपान

क्षेत्रीय योजना 2021 में छह स्तरीय बस्ती प्रणाली अर्थात मेट्रो केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, उप क्षेत्रीय केन्द्र, सेवा केन्द्र, केन्द्रीय ग्रामों और मूलभूत ग्रामों का प्रस्ताव किया गया। अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए उसी निवास पैटर्न को जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। पूर्ववर्ती केन्द्रों के अतिरिक्त तीन क्षेत्रीय केन्द्र अर्थात हरियाणा उप-क्षेत्र में करनाल (एम.सी.आई.+ओ.जी.) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मुजफ्फरनगर (एनपीपी) तथा राजस्थान उप-क्षेत्र में भरतपुर (एम.सी.आई.+ओ.जी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।

तलिका 4.21 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र (2021)

क्रम सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	2011 (मौजूदा)	2021 (प्रस्तावित)
1.	करनाल (एम.सी.आई+ओ पी)	3,02,140	6,84,787*
2.	मुजफ्फरनगर (एनपीपी)	3,92,768	5,55,646
3.	भरतपुर (एम.सी.आई+ओ जी)	2,52,838	3,16,147

स्रोतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या अनुमान अध्ययन, 2016-2019 *करनाल के अंतिम विकास योजना-2025

क्षेत्रीय केन्द्र, उप क्षेत्रीय केन्द्र, सेवा केन्द्र, केन्द्रीय गांव तथा मूल गांव के संबंध में नीतियां जैसा कि क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 4.3.6 में दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए लागू हों।

5.2.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों की आर्थिक संरचना

5.2.6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर

भारत की जनगणना अभिलेखों के अनुसार 2001-11 के दशक के दौरान देखा गया है कि भरतपुर को छोड़कर नए जिलों में कार्य सहभागिता दर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी नए जिलों में गिरावट आई है। (तालिका 5.11 देखें) इसके अतिरिक्त, हालांकि भरतपुर जिले में महिलाओं के लिए कार्य सहभागिता दर में थोड़ी वृद्धि हुई है, अन्य जिलों के लिए इस दर में अत्यंत गिरावट आई है।

तालिका 5.11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर 2001-11)

क्रम सं.	अतिरिक्त क्षेत्र	कार्य सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर में %)					
		2001			2011		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1.	**हरियाणा**	41.42	49.75	31.87	37.08	50.20	22.26
2.	**उत्तर प्रदेश**	31.96	48.43	13.17	31.45	49.48	11.26
3.	**राजस्थान**	40.59	42.08	32.99	42.03	47.74	35.54

स्रोतः भारत की जनगणना, 2001 और 2011

5.2.6.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए जोड़े गए जिलों में कार्यबल की संरचनात्मक बनावट

ऐसा देखा गया है कि नए जोड़े गए जिलों में अधिकांश कार्यबल या खेती और कृषिकार्य (प्राथमिक कार्यकलापों) अथवा अन्य प्रकार के कार्यकलापों में लगा है। 2001-2011 के दशक के दौरान देखा गया है कि कालान्तर में खेतिहरों की हिस्सेदारी में कमी आई है, तथापि, कृषि श्रमिकों और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि देखी जाती है। तालिका 5.12 में वर्ष 2001 और 2011 के दौरान नए जिलों में आर्थिक गतिविधियों के प्रकार के आधार पर मुख्य कामगारों की हिस्सेदारी की प्रतिशतता प्रदान की गई है।

तालिका 5.12 अतिरिक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कर्मकारों की हिस्सेदारी, 2001-2011

क्रम सं.	अतिरिक्त क्षेत्र	कामगारों की हिस्सेदारी 2001 (%)				कामगारों की हिस्सेदारी 2011 (%)			
		खेतिहर	कृषि श्रमिक	घरेलू उद्योग	अन्य	खेतिहर	कृषि श्रमिक	घरेलू उद्योग	अन्य
		प्राथमिक		द्वितीयक	तृतीयक	प्राथमिक		द्वितीयक	तृतीयक
1.	**हरियाणा**	46.22	9.20	2.27	42.33	39.30	12.94	2.27	45.49
2.	**उत्तर प्रदेश**	30.59	15.55	3.15	50.71	27.48	20.95	2.96	48.62
3.	**राजस्थान**	60.79	6.27	1.84	31.09	50.43	12.86	2.07	34.64

स्रोतः भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

जनगणना के अभिलेखों से प्रकट है कि नए जोड़े गए क्षेत्रों में 2001-11 के दशक के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए कामगारों की हिस्सेदारी सभी जिलों में घटी किन्तु हरियाणा उप-क्षेत्र के भिवानी (चरखी दादरी सहित) तथा उ.प्र. उप-क्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले में थोड़ी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इसके विपरीत, द्वितीयक क्षेत्र में कार्यबल में सभी नए जोड़े गए जिलों में हल्की वृद्धि प्रदर्शित हुई किन्तु हरियाणा उप-क्षेत्र के महेन्द्रगढ़ तथा उ.प्र. उप-क्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले में मामूली गिरावट देखी गई है। सभी नए जोड़ गए जिलों में तृतीयक क्षेत्र में कामगारों में बढ़ोतरी हुई सिवाय हरियाणा उप-क्षेत्र के भिवानी (चरखी दादरी सहित) और उ.प्र. उप-क्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले के।

5.4क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

चूंकि समस्त अतिरिक्त क्षेत्र शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है इसलिए कार्यकलाप विशिष्ट नीतियां के अंतर्गत शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी संबंधित नीतियां और क्षेत्रीय योजना-2021 की धारा 5.4 के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर से संबंधित नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

5.5कः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्यनीतियां

कार्यकलाप विशिष्ट कार्यनीतियों के अतंर्गत शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सुझाई गई कार्य नीतियां तथा क्षेत्रीय योजना की धारा 5.5 के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर से संबंधित कार्य नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

अध्याय 6: परिवहन

पैरा 6.2.1 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित परिवहन नेटवर्क शामिल किए जाएं

i) सड़क नेटवर्क

हरियाणा उप-क्षेत्र मे दस राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) यथा एनएच-44, 52, 152, 352, 709ई, 709ए, 334बी, 11, 148वी और 9; उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र मे दो राष्ट्रीय राजमार्ग यथा एनएच-119, 58 और राजस्थान उप-क्षेत्र मे दो राष्ट्रीय राजमार्ग यथा एनएच-21 और एनएच-123.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क को सुदृढ करने में 23 राज्य के राजमार्ग भी कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बृहद सड़क नेटवर्क को मानचित्र 6.1क में दर्शाया गया है।

ii) रेल नेटवर्क

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों को रेल नेटवर्क चार मण्डलीय रेलवे (उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-मध्य और पश्चिम-मध्य) के तहत आता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल नेटवर्क मानचित्र 6.2क में दर्शाया गया है।

iii) हवाई अड्डा

हरियाणा राज्य सरकार की मंशा हिसार, जो इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का काउंटर मैग्नेट क्षेत्र है, में एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाई अड्डा स्थापित करने का है। राजस्थान उप-क्षेत्र में निकटतम घरेलू हवाई अड्डा पंडित दीन दयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, आगरा है जो भरतपुर से 58 किमी की दूरी पर स्थित है।

आगरा हवाई अड्डा के अलावा राजस्थान उप-क्षेत्र के भरतपुर के लिए दो हवाई अड्डे हैं, वे हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली जो भरतपुर से 240 किमी की दूरी पर स्थित है तथा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर जो भरतपुर से लगभग 175 किमी की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डों के अलावा भरतपुर में भरतपुर नगर से 21 किमी की दूरी पर अवस्थित एयरस्ट्रिप भी है। ये एयरस्ट्रिप (30 एकड़ के आवंटित कुल भूमि क्षेत्र के साथ) छोटे विमान परिचालनों के लिए ही (वीआईपी और निजी विमान परिचालन) उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली द्वारा सेवित होता है।

निम्नलिखित पैरा 6.9 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और कार्यनीतियां तथा कार्य योजना के रूप में जोड़ा जाए

क्षेत्रीय योजना के 2021 के पैरा 6.5 में उल्लिखित नीतियां और कार्यनीतियां पैरा 6.6 में उल्लिखित परिवहन योजना 2021 तथा पैरा 6.6.5 में कार्य योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

Map 6.1A National Capital Region (Including Additional Areas): Existing Road Network

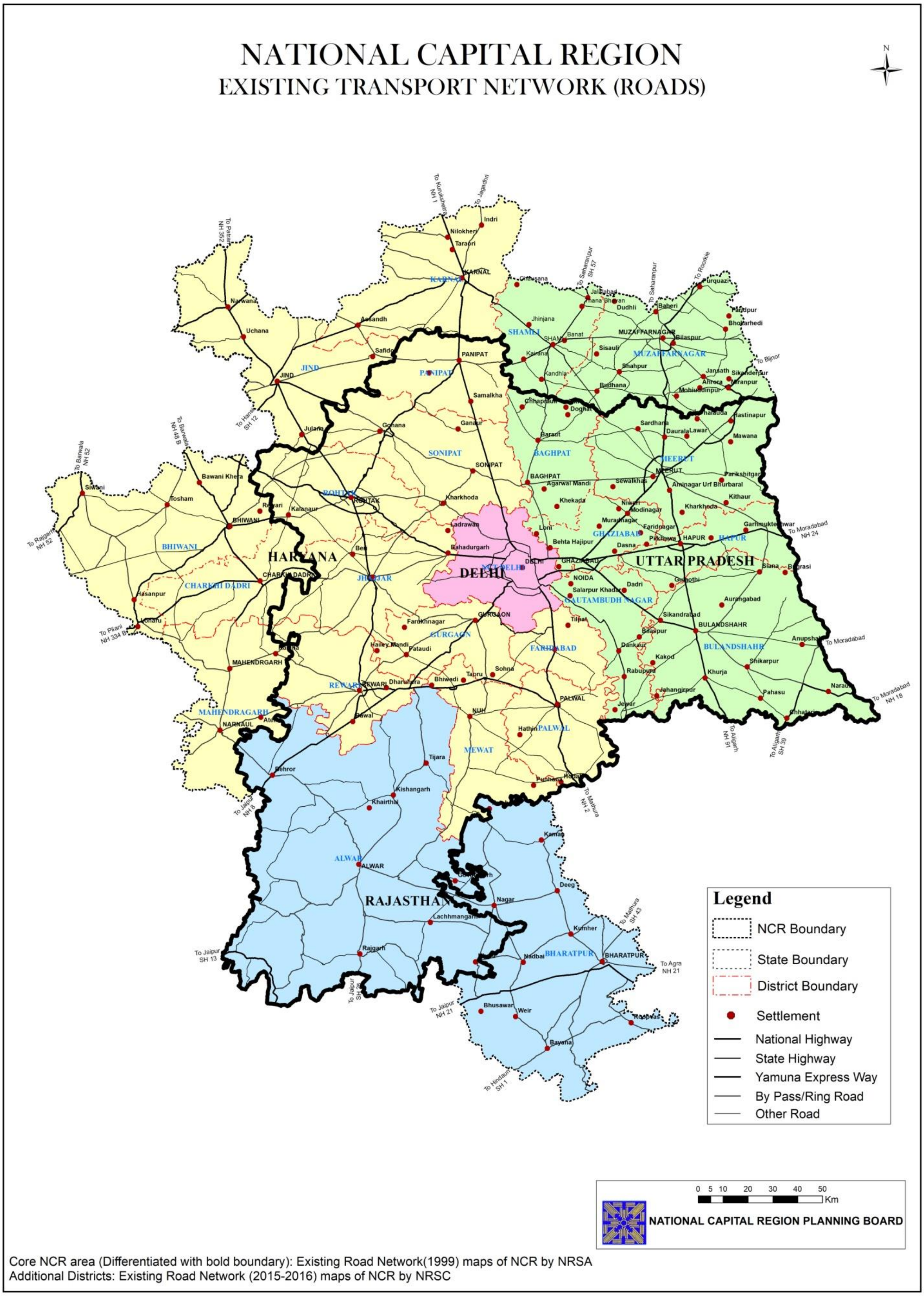

Note: Map to be referred for additional areas only.

Map 6.2A **National Capital Region (including Additional Areas): Existing Rail Network**

Core NCR area (Differentiated with bold boundary): Existing Rail Network(1999) maps of NCR by NRSA
Additional Districts: Existing Rail Network (2015-2016) maps of NCR by NRSC

Note: Map to be referred for additional areas only.

अध्याय 7: विद्युत

7.2.1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त/नए शामिल क्षेत्रों के लिए मौजूदा उपलब्धता और भविष्य की मांग

2011 की जनगणना से हरियाणा के अतिरिक्त क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति का पता चलता है| शत-प्रतिशत गांव जो बसे हुए हैं, करनाल (417), जींद (302), महेन्द्रगढ़ (369) भिवानी (चरखी दादरी सहित) (437) तथा भरतपुर (1432) में विद्युतीकरण हैं जबकि मुजफ्फरनगर (शामली सहित) जिले में स्थिति में सुधार की जरूरत है। संबंधित राज्य सरकारों को यथा प्रयोज्य सात जिलों की विद्युत की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा इन जिलों के लिए योजनाबद्ध सुधारों के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।

नए जोड़े गए जिलों की नीचे निर्दिष्ट उर्जा खपत की स्थिति से महेन्द्रगढ़ जिले (24%) में उर्जा की आवशकता की 2015 से 2017 में अधिकतम वृद्धि प्रदर्शित होती है जिसके बाद मुजफ्फरनगर जिला (12%) है। भरतपुर जिले को टी एवं डी घाटों (47%) की जांच करने की जरूरत है जबकि करनाल जिले के लिए उर्जा की आवश्यकता अधिकतम है।

तालिका 7.8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों की जिला वार विद्युत की मांग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विद्युत की मांग तथा उर्जा संबंधी आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2016)							
राज्य	जिला	उर्जा की 2015-16 के दौरान खपत	उर्जा की 2016-17 के दौरान खपत	बढ़ोतरी (%)	टी एवं डी की धारा (%)	उर्जा की आवश्यकता (एमयू)	अधिकतम भार (एमडब्ल्यू)
1	2	3	4	5 (4-3/3)	6	7	8
हरियाणा	करनाल	2873	2892	6.69	32.40	4279	1595
	भिवानी (चरखी दादरी सहित)	1494	1591	6.55	33.61	2397	569
	महेंद्रगढ़	576	713	23.78	28.43	997	225
	जींद	1049	1128	7.47	38.37	1830	719
उत्तर प्रदेश	मुज्जफरनगर	1287	1440	11.87	21.03	1824	2059
राजस्थान	भरतपुर	805	865	7.44	47.25	1639	343

स्रोतः सी ई ए

7.3 (क) नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 7.3 में प्रदत्त नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

अध्याय 8: जल

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 8.2 में निम्नलिखित जोड़े जाएँ

8.2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति और मुद्दे

नए जोड़े गए क्षेत्रों में करनाल जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा (605.8 मिमी) वर्षा होती है जबकि महेन्द्रगढ़ में न्यूनतम वर्षा (405.8 मिमी) होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में भूमिगत-जल विकास ब्लाकों के अनुसार उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी अतिरिक्त क्षेत्रों में शुद्ध वार्षिक पुनर्भरण और विनिवर्तन के बीच असंतुलन से स्पष्ट रूप से यह अर्थ निकलता है कि भूमिगत-जल विनिवर्तन जलीय पुनर्भरण की दर से बहुत अधिक है। हालांकि मुजफ्फनगर जिले में स्थिति अत्यधिक बेहतर है जहां भूमिगत-जल विकास की अवस्था 66 है किन्तु यह भी 62 के अखिल भारत औसत से अधिक है। इसलिए नए जोड़े गए क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमिगत-जल संसाधन अति-दोहन की वजह से दबाव में है।

भूमिगत-जल विकास की अवस्था के आधार पर सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट 2011 से इंगित होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में सभी जिलों में अति-दोहन वाले ब्लाकों की भरमार है। इससे वार्षिक भूमिगत-जल विनिर्वतन की कमी पूरी करने के लिए भूमिगत-जल पुनर्भरण को बढ़ाने की आवश्यकता साफ तौर पर रेखांकित होती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए जोड़े गए जिलों में भिवानी (चरखी दादरी सहित) जिले में मानसून-पूर्व मे जल स्तर 65.97 बीजीएल तक चली जाती है और मानसून के बाद भी यह स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही है। शेष जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। यह स्थिति भू-जल लवणता के संबंध में करनाल तथा कुछ हद तक मुजफ्फरनगर को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए चिंता का विषय है।

पेय जल को क्रमिक जल नीतियों में जल उपयोगों में प्राथमिकता दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़े गए नए क्षेत्रों में 100% आबादी की पहुँच पेय जल तक है सिवाय राजस्थान उप-क्षेत्र के भरतपुर जिले के, जहां यह केवल 79.9% है। 2011 में 52.9% के औसत पर जल का पानी (पाइपयुक्त जलापूर्ति को निर्दिष्ट करता हुआ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए जोड़े गए जिलों में पेय जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत बना रहा। भरतपुर जिले तथा मुजफ्फरनगर जिले में हैंडपम्प पानी का एक प्रमुख स्रोत अर्थात क्रमशः 36.6% तथा 65.2% घर है।

8.3 (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 8.3 में उल्लिखित नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों में विस्तृत किए जाएं।

8.4 (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 8.4 में उल्लिखित कार्ययोजना और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में विस्तृत किए जाएं।

मानचित्र 8.1क में 7 अतिरिक्त जिलों में भूमिगत-जल पुनर्भरणीय क्षेत्रों को इंगित किया गया है। हरियाणा के महेन्द्रगढ़ भिवानी (चरखी दादरी सहित) जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और शामली तथा राजस्थान उप-क्षेत्र में भरतपुर जिले।

Map 8.1A: National Capital Region (including Additional Areas): Ground Water Rechargeable Areas

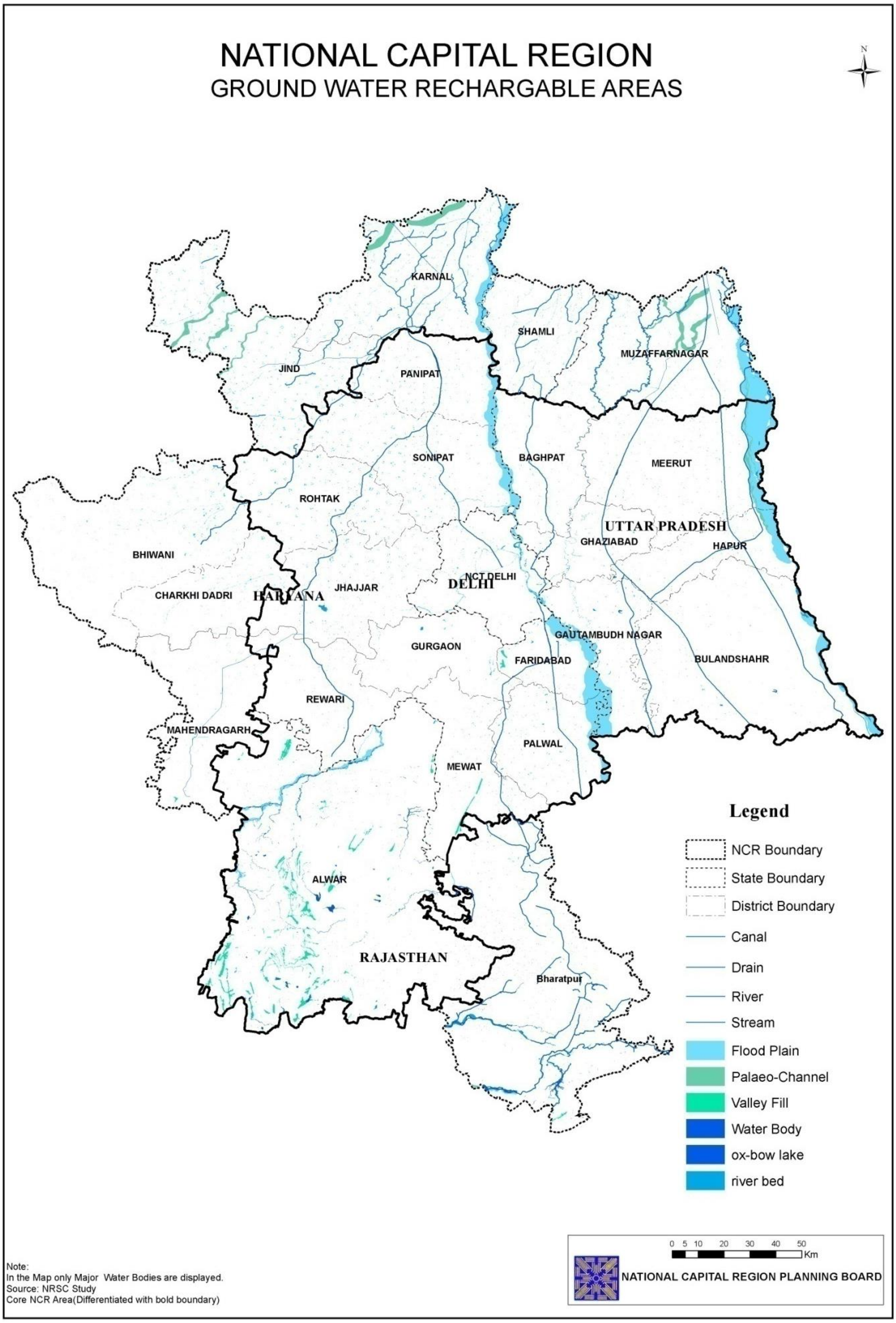

Note: Map to be referred for additional areas only.

अध्याय 9: मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी तथा सिंचाई

वर्ष 2005 मे अधिसूचित, एनसीआर के लिए आरपी-2021 के 9.1.2 एवं अध्याय 8-जल का 8.2, मे निम्नलिखित जोड़े जाएँ:

9.1.2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में मल जल व्यवस्था के संबंध में मौजूदा स्थिति और मुद्दे

हरियाणा में करनाल, जींद, महेन्द्रगढ़ और भिवानी (चरखी दादरी सहित) के जिलों के विभिन्न शहरों में सीवरेज नेटवर्क की कवरेज भिन्न-भिन्न है जो भिवानी जिले के लोहारू शहर में 60% से लेकर चरखी, दादरी असांध, नरवाना तथा महेन्द्रगढ़ में 90% है। हरियाणा के नए जोड़े गए जिलों अर्थात करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र में सीवर नेटवर्क कवरेज 76% है। नए जोड़े गए जिलों में अभिज्ञात क्षेत्रीय केन्द्रों में सीवेज प्रशोधन क्षमता के संबंध में करनाल की क्षमता 48 एमएलडी है जबकि भरतपुर की क्षमता 13 एमएलडी सीवेज निपटान करने की है।

शहरी क्षेत्र के लिए 135 एलपीसीडी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 70 एलपीसीडी अनुमानों के अनुसार अर्थात सीपीएचईईओ मानकों के अनुसार की दर से अनुमानित जल की मांग तथा जल की मांग के 80% के रूप में अनुमानित सीवेज निर्माण को देखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रों में 2011 में 828 एमएलडी का सृजन होता है और 2021 तक 461 एमएलडी सृजित करने की आशा है।

9.1.3क नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 9.1.3 में यथा उल्लिख्ति सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

9.1.4क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 9.1.4 में उल्लिखित कार्ययोजना और नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हो।

9.2.2क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में मौजूदा स्थिति तथा मुद्दे

अनुमानों के अनुसार तालिका 9.2.1क में हरियाणा के चार नए शामिल जिलों में से करनाल में वृहत शहरी जनसंख्या के कारण सबसे अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है इसके बाद जींद, भिवानी (चरखी दादरी सहित) और महेन्द्रगढ़ जिले हैं। इस तालिका में सीपीएचईईओ मानको के अनुसार वर्ष 2011 और 2021 के लिए अनुमानित ठोस अपशिष्ट भी प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर अनुमानों के अनुसार रा.रा.क्षे. के अतिरिक्त क्षेत्रों में 2011 में करीब 641 एमटी/प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ और 2021 तक प्रतिदिन 1034 एमटी/प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है।

तालिका सं 9.2.1कः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में शहरी आबादी द्वारा अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पाद

राज्य/जिला	**शहरी जनसंख्या 2011**	**अनुमानित शहरी जनसंख्या 2021***	**2011 में उत्पादन एम टी/प्रतिदिन**	**2021 तक अनुमानित उत्पादन एमटी/प्रतिदिन**
हरियाणा				
करनाल	4,54,810	5,93,847	95.51	148.46
महेन्द्रगढ़	1,32,855	2,89,549	27.90	60.80
भिवानी (चरखी दादरी सहित)	3,21,322	4,26,568	67.48	89.58
जिंद	3,02,583	4,92,846	64.17	103.50
उत्तर प्रदेश				
मुजफ्फरनगर	8,05,210	11,89,377	201.30	321.13
शामली	3,86,102	5,70,312	81.08	142.58
राजस्थान				
भरतपुर	4,95,099	6,71,269	103.97	167.82
कुल			641.41	1033.87

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या अनुमान अध्ययन 2016-2019 एवं सीपीएचईईओ मानक

सीपीएचईईओ के अनुसार प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पन्न

जनसंख्या का दायरा (लाख में)	औसत प्रति व्यक्ति मान (किग्रा/व्यक्ति/दिन)
1-5	0.21
5-10	0.25
10-20	0.27
20-50	0.35
>50	0.50

9.2.3क नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 9.2 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में लागू हो।

9.2.4क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना

क्षेत्रीय कार्ययोजना 2021 के पैरा 9.2.4 में उल्लिचिखत कार्य योजना और कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

9.3.2क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए जल निकास के संबंध में मौजूदा स्थिति

विस्तारित उपक्षेत्र के जींद तथा भिवानी (चरखी दादरी सहित) जिलों में जल निकासी मुख्यतया जल निकासी भूभागों (घग्घर जल निकासी भूभाग/आंतरिक जल निकासी भू भाग) के जरिए होता है। महेन्द्रगढ़ जिले में कोई जल निकासी प्रणाली नहीं है तथा करनाल जिले का जलनिकास यमुना नदी से जुड़ा है और इसमें प्रभावित होता है। मुजफ्फरनगर जिला पूर्व में गंगा नदी तथा पश्चिम में यमुना नदी द्वारा सीमांकित है। वस्तुत: जिले का जल निकास पैटर्न इन दो प्रमुख नदियों द्वारा पूर्णतया प्रशासित होता है। दोनों नदियां अपने अपने प्रवाह मार्ग में प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदीं सोलानी नदी है। यमुना की हिंडन कृष्णी तथा हरि नदियां और कटनानाला नामक सहायक नदियां हैं। भरतपुर जिला रूपारेल बनगंगा तथा गंभीरी नदी बेबिन के भागों में पड़ता है। इस जिले में सभी नदियों की प्रकृति अल्पकालिक है। गंभीरी नदी दक्षिणी भाग में प्रभावित होती है जबकि रूपारेल उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है।

9.3.3क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 9.3.3 में यथा उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

9.3.4क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 9.3.4 में उल्लिखित कार्य योजना और कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में विस्तृत हों।

9.4.1क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में सिचाई से संबंधित मौजूदा स्थिति

विस्तारित हरियाणा उप-क्षेत्र के करनाल, भिवानी (चरखी दादर सहित) तथा महेन्द्रगढ़ और जींद जिले के हिस्सों में जल की पूर्ति यमुना नहर प्रणाली से की जाती है। करनाल और जींद जिले में ऐसा गुरूत्वाकर्षण के जरिए होता है किन्तु भिवानी (चरखी दादरी सहित) जिले और महेन्द्रगढ़ के भागों में ऐसा लिफ्ट प्रणाली के जरिए किया जाता है सिंचाई नेटवर्क प्रशासनिक/जिला सीमाओं तक सीमाबद्ध नहीं है वरन विभिन्न जिलों को लाभ पहुचाते हुए सर्किल नेटवर्क के जरिए कार्य करता है।

भरतपुर जिले को दीग और भरतपुर प्रभागों में विभाजित किया गया है। नादबाई, कुम्हेर, भरतपुर तथा वेर (आंशिक रूप से) तहसील भरतपुर प्रभाग के तहत आते हैं जिसमें 52 बाँध हैं जिनमें वर्षा के पानी को एकत्र किया जा रहा है। सितंबर तथा अक्टूबर माह में इन बांधों से नहरों और नदियों के जरिए पानी सिंचाई के लिए छोडा जाता है। दीग प्रभाग के अंतर्गत कमान, पहाड़ी तथा डीग तहसील के 185 ग्राम सिंचाई के लिए आते हैं। सिंचाई विभाग ने 53 किमी लंबी 'गुड़गांव नहर' का निर्माण किया गया है। कुल ज़िले का 64% हिस्सा सिंचित एवं 36% असिंचित है। भरतपुर जिले में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3275.63 वर्ग किमी है और सकल सिंचित क्षेत्र 3309.95 वर्ग किमी है।

पूर्ववर्ती मुजफ्फरनगर का समस्त जिला गंगा और यमुना नदियों के बीच पड़ता है। इस क्षेत्र की दोमट मिट्टी उपजाऊ है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र के करीब 80% पर खेती की जाती है। रबी की फसलें गेहूं और तिलहन हैं जबकि धान और दाल खरीफ की मुख्य फसलें हैं। प्रचुरमात्रा में उत्पादित गन्ना एक बारहमासी फसल है। मुजफ्फरनगर जिला अत्यधिक विकसित जिलों में से एक है जो गंगा और यमुना नहर प्रणालियों से सुविधायुक्त है। गंगा तथा पूर्वी यमुना नहरों के अलावा सिंचाई संबंधी जरूरतों को भूमिगत-जल द्वारा पूरा किया जाता है। नहर से सिंचाई खटौली ब्लाक मे सर्वाधिक होती है जिसके बाद पुरकाजी ब्लाक है। नहर से सिंचाई बुधाना ब्लाक में न्यूनतम होती है। नलकूपों से सिंचित क्षेत्र उन ब्लाक में अधिकतम और पुरकाजी ब्लाक में न्यूनतम है।

9.4.3क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 9.3.3 में यथा उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

9.4.4क अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 9.4.4 मे उल्लिखित कार्य योजना और कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर विस्तृत हों।

अध्याय 10: दूरसंचार

10.2(क) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूरसंचार की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

(i) मार्च 2007 तक के लिए तय की गई शहरी सीमा 11.5 तथा ग्रामीण सीमा 3.0 से दूरसंचार घनत्व बढ़ कर 175 (दिल्ली में) पहुँच गया है ।

(ii) पुरानी तकनीक जैसे जीपीआरएस आदि की तुलना में 4जी सेवाएँ पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध है ।

(iii) भारतनेट परियोजना, जो कि देश की सभी 25 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग द्वारा हाईस्पीड डाटा पहुँचने का लक्ष्य रखती है, प्रक्रियाधीन है ।

10.4.1 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियाँ और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 10.4 में दिए गए नीतियाँ और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जाए।

अध्याय 11: आवास

11.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में मुद्दे

क. 2011 की जनगणना के अनुसार जींद और भिवानी (चरखी दादरी सहित) के शहरी क्षेत्रों में वहनीय आवासन की कम उपलब्धता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए जोड़े गए जिलों में भिवानी (चरखी दादरी सहित) जींद, करनाल तथा मुजफ्फरनगर जिलों के शहरी क्षेत्रों मे स्वामित्व वाले घरों की कम हिस्सेदारी द्वारा निर्दिष्ट होती है।

ख. नए जोड़े गए क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में महेन्द्रगढ़ को छोड़कर आवासन में अत्यधिक अंतराल (करीब 6000 घरों से लेकर 45000घर) हैं।

11.3.1 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्यनीतियां नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 11.3 में उल्लिखित नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कुल अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

11.4.1 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए मलिन बस्ती/अनौपचारिक आवास के संबंध में कार्यनीतियां नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 11.4 में उल्लिखित नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

अध्याय 12: सामाजिक अवसंरचना

12.2 (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसंरचना की मौजूदा स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार नए जिलों में महेन्द्रगढ़ जिले में समग्र साक्षरता 74% के अखिल भारत के प्रतिशत के मुकाबले सर्वाधिक (77.72%) है जिसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र के जिले अर्थात भिवानी (चरखी दादरी सहित) (75.21%) तथा करनाल (74.73%) है। तथापि, उ.प्र. तथा राजधानी के नए जिलों में यह दर अखिल भारत की औसत प्रतिशतता अर्थात 70% की अपेक्षा कम है।

12.1(क)

स्वास्थ्य केन्द्रों/सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) संबंधी दिशानिर्देश नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

बाक्स 12.1 क स्वास्थ्य देखरेख सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए मानदंड

श्रेणी	बिस्तरों की संख्या	प्रति इकाई सेवित जनसंख्या
औषधालय	-	15,000
* उपकेन्द्र	-	5,000 (मैदानी भाग) 3,000 (जनजातीय पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र)
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	6 बिस्तर	30,000 ग्रामीण, 20,000 शहरी
* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	30 बिस्तर	8,0000 (जनजातीय पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र) 1,20,000 (मैदानी भाग)
* उप जिला/उप मंडलीय अस्पताल	श्रेणी I: 31-50 बिस्तर श्रेणी II: 51-100 बिस्तर	5,00,000-6,00,000
* जिला अस्पताल	101-500 बिस्तर	
नर्सिंग होम बाल कल्याण और मातृत्व केन्द्र	25 से 30 बिस्तर	45,000 से 1 लाख
पॉलीक्लीनिक	निगरानी संबंधी कुछ बिस्तर	1 लाख
मध्यवर्ती अस्पताल (श्रेणी ख)	80 बिस्तर, शुरू में 20 प्रसूति बिस्तरों सहित 50 बिस्तरों की व्यवस्था की जा सकती है।	1 लाख
मध्यवर्ती अस्पताल (श्रेणी क)	200 बिस्तर, शुरू में 100बिस्तरों की व्यवस्था की जा सकती है।	1 लाख
मल्टी स्पेशियलटी अस्पताल (एनबी बी)	200 बिस्तर, शुरू में 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जा सकती है।	1 लाख
स्पेशियलिटी अस्पताल (एनबीसी)	200 बिस्तर, शुरू में 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जा सकती है।	1 लाख
जनरल अस्पताल (एनबीसी)	500 बिस्तर, शुरू में 300 बिस्तरों की व्यवस्था की जा सकती है।	2.5 लाख
परिवार कल्याण केन्द्र	आवश्यकतानुसार	50,000

स्रोत: यूआरडीपीएफआई (2014), शहरी विकास मंत्रालय

* संशोधित आईपीएचएस दिशानिर्देश (2012), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

12.4.1 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए कार्यनीतियां

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 12.4 में उल्लिखित कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

12.5.3 अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए 'कानून तथा व्यवस्था' सम्बंधी कार्यनीतियां

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 12.5.2 में उल्लिखित कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

अध्याय 13: धरोहर एवं पर्यटन

क्षेत्रीय योजना-2021 के धरोहर एवं पर्यटन पर अध्याय 13 के 13.1.1 मे यह शामिल किया जाए

13.1.1(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के धरोहर स्थल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए शामिल ज़िलो मे 45 केंद्र संरक्षित तथा 38 राज्य संरक्षित स्थल है। इनका विवरण तालिका 13.1 (क) मे दिया गया है:

तालिका 13.1 (क): नए शामिल ज़िलो मे संरक्षित स्थलो की संख्या

संरक्षण/राज्य	हरियाणा उप-क्षेत्र	उ.प्र. उप-क्षेत्र	राजस्थान उप-क्षेत्र	अतिरिक्त क्षेत्रों मे कुल
केंद्र संरक्षित स्थल	17	6	22	45
राज्य संरक्षित स्थल	8	2	26	36

स्रोत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 2017

13.1.2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों मे मानव-निर्मित धरोहर स्थलो के संरक्षण हेतु नीतियाँ एवं प्रस्ताव

नए जोड़े गए जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 13.1.2 में उल्लिखित कार्यनीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

13.1.3(क) अतिरिक्त क्षेत्रों में प्राकृतिक धरोहर

I. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में विशेष संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं| इनमे निम्नलिखित शामिल है:
   i. केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर (वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित और वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध)
   ii. बांध बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, भरतपुर
   iii. बीर बाड़ा वन वन्यजीव अभ्यारण्य/संरक्षण रिजर्व, जींद, हरियाणा
   iv. हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुराने क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 में पैरा 13.1.3 में शामिल घटकों/पहलों के समान घटकों/पहलों को 13.1.4 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों मे संरक्षित/परिरिक्षत किया जाए।

13.1.4(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैर 13.1.4 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

13.2.1(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में पर्यटन स्थल

ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों में अत्यधिक पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं जिनमें धार्मिक ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक रूचि के स्थान शमिल हैं।

13.2.2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के संरक्षण के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 13.2.2 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

अध्याय 14: पर्यावरण

14.1.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में वन आवरण

इन अतिरिक्त क्षेत्रों में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रमुख प्राकृतिक लक्षणों को अभिज्ञात किया गया है जैसे कि अरावली संरक्षित वन, वन्यजीव, अभ्यारण्य, प्राकृतिक पार्क, नदियां तथा अन्य जल स्रोत, बाढ़ के मैदान इत्यादि। इनमें जन्तुओं और वनस्पतियों की विविधता पायी जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे 7 नए शामिल ज़िलो मे वन आवरण अपर्याप्त है जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से काफी कम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औसत से भी कम है। जिलों मे वन आवरण की सर्वाधिक प्रतिशतता भरतपुर (4.52%) में है और न्यूनतम जींद (0.8%) में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए जोड़े गए जिलों में न्यून वन आवरण है और इस दिशा में अत्यधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

14.2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों में पर्यावरण के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

उपर्युक्त पैरों में किसी बन के होते हुए भी, सभी संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं अनंतिम और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी उप-क्षेत्रीय योजनाओं/विकास/मास्टर प्लान मे सत्यापन और विस्तृत ब्योरा के अधीन हैं।

अध्याय 15: आपदा प्रबधंन

15.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में प्राकृतिक जोखिमों के कारण अरक्षितता और जोखिम प्रबंधन

क. भूकंप

इन क्षेत्र में एक प्रमुख फाल्ट लाइन महेन्द्रगढ़ देहरादून फाल्टलाइन महेन्द्रगढ़, भिवानी (चरखी दादरी सहित), झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत से गुजरती है। हरियाणा उप क्षेत्र के 4 नए जोड़े गए जिलों में महेन्द्रगढ़, करनाल और भिवानी (चरखी दादरी सहित) उच्च जोखिम वाले जोन 4 और 3 में पड़ते हैं। जींद मध्यम क्षति के जोखिम जोन 3 में है। महेन्द्रगढ़ जिले से होकर गुजरती हुई कुछ फाल्ट लाइन हैं। अलवर और भरतपुर जिले के हिस्से उच्च क्षति वाले जोखिम जोन 4 और जोन 3 में पड़ते हैं। भरतपुर का दक्षिणी भाग निम्न क्षति वाले जोखिम जोन 2 के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरनगर (शामली सहित) उच्च क्षति वाले जोखिम जोन 4 में पड़ता है।

ख. बाढ़

भिवानी (चरखी दादरी सहित) तथा महेन्द्रगढ़, जींद, करनाल जिलों की तुलना में बाढ़ के प्रति कम प्रवण हैं। जींद और करनाल जिलों में भारी बारिशों के दौरान बाढ़ आती है। इन दो जिलों में स्थलाकृति के कारण पानी की सही निकासी न हो पाने की वजह से भी बाढ़ आती है। जिला आपदा प्रबधंन के अनुसार जींद जिले में 40मिमी की औसत वर्षा होती है (2004-2012), करनाल जिले में बाढ़ मुख्यतया भारी बारिश के दौरान यमुना नदी के उत्प्लावन के कारण आती है। करनाल में 325 मिमी की औसत वर्षा होती है (करनाल के लिए जिला प्रबंधन योजना के अनुसार 2008 से 2012 तक दर्ज किए गए अनुसार)| जींद तथा करनाल जिलों में से होकर कई नहरें गुजरती हैं जो इन जिलों को बाढ़ के प्रति असुरक्षित बनाती हैं। भरतपुर जिले का बड़ा भाग बनगंगा नदी बेसिन में पड़ता है जो राज्य के 15 नदी बेसिनों में से एक है इसलिए इससे बाढ़ आने की अत्यधिक संभावना है। बनगंगा गंभीर तथा रूपारेल नदियां इस जिले से होकर बहती है। राजस्थान के अन्य जिलों में यह जिला सूखा से न्यूनतम प्रभावित होता है। आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार भरतपुर में सूखा विरले ही पड़्ता है। मुजफ्फरनगर जिले में अनेक नदियों की मौजूदगी के कारण बाढ़ एक प्रमुख समस्या है। गंगा हिंडन सोलानी और काली नदियां इस जिले से होकर गुजरती है। मानसून के दौरान ये नदियां उत्प्लावित हो जाती हैं और आस पास के क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त कर देती हैं।

ग. हवा

महेन्द्रगढ़, भिवानी (चरखी दादरी सहित) जींद, करनाल और भरतपुर जिले अत्यधिक तेज बहने वाली हवा के जोखिम वाले क्षेत्र में पड़ते हैं जहां हवा का बहाव 47 मीटर प्रति सेकेंड होता है।

15.3.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 15.3 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में लागू हों।

अध्याय 16: ग्रामीण विकास

16.3.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 16.3 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हो।

अध्याय 17: क्षेत्रीय भूमि उपयोग

17.2.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों का भूमि उपयोग संबंधी विश्लेषण 2016 में मौजूदा भूमि उपयोग

वर्ष 2016 मे वर्तमान भू-उपयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने "रा.रा.क्षे. के 7 अतिरिक्त जिलों के लिए भूमि उपयोग सृजन" पर राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार द्वारा एक अध्ययन शुरू करवाया। 2016 से संबंधित मौजूदा भूमि उपयोग विश्लेषण जो रिसोर्ससेट-2 एलआईएसएस 4 के आकड़ों पर आधारित था, अध्ययन के भाग के रूप में एनआरएससी द्वारा 1:50000 के पैमाने पर किया गया। उक्त अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों जिनमें 7 जिले शामिल हैं (हरियाणा के 4, उत्तर प्रदेश के 2 तथा राजस्थान का एक) की स्थिति और मूल्यांकन तालिका 17.2(क) में यथा प्रस्तुत हैः

तालिका 17.2 (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में उप क्षेत्रवार भूमि उपयोग

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

श्रेणी	हरियाणा उप क्षेत्र		उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र		राजस्थान उप क्षेत्र		कुल	
	क्षेत्रफल	%	क्षेत्रफल	%	क्षेत्रफल	%	क्षेत्रफल	%
निर्मित	643.72	5.41	237.85	5.99	201.68	3.98	1083.25	5.17
कृषि	10715.69	90.06	3546.58	89.26	4215.67	83.20	18477.94	88.25
वन	244.8	2.06	51.28	1.29	567.63	11.20	863.71	4.12
उजाड़ भूमि	182.27	1.53	76.92	1.94	40.57	0.80	299.76	1.43
भूमि	93.24	0.78	35.93	0.90	22.57	0.45	151.74	0.72
जल स्रोत	18.93	0.16	24.77	0.62	18.69	0.37	62.39	0.30
अन्य	**11898.65**	**100.00**	**3973.33**	**100.00**	5066.81	100.00	**20938.79**	**100.00**

स्रोतः राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र अध्ययन रिपोर्ट 2019 * राज्यों द्वारा सत्यापन किया जाना है।

भूमि उपयोग के उप क्षेत्रवार वितरण से पता चलता है कि उप क्षेत्र का बड़ा भाग कृषि उपयोग के अधीन है जो हरियाणा में अधिकतम है। (90.06%) जिसके बाद उत्तर प्रदेश (89.26%) राजस्थान (83.20%) हैं। राजस्थान उपक्षेत्र में वन का हिस्सा सर्वाधिक अर्थात 11.20% है जिसके बाद हरियाणा उपक्षेत्र है जहां यह 2.06% है। मानचित्र 17.1क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतिरिक्त क्षेत्रों सहित) मौजूदा भूमि उपयोग (पुराने क्षेत्रों के लिए 1999 तथा नए क्षेत्रों के लिए 2016)।

17.4क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए नीतियां और प्रस्ताव

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 17.4 में उल्लिखित सभी नीतियां और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों। मानचित्र 17.2क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतिरिक्त क्षेत्रों सहित) प्रस्तावित भूमि उपयोग 2021 शहरों/नगरों के शहरीकरण योजना /नियंत्रण क्षेत्र की सीमाएं संबंधित मास्टर/विकास योजनाओं के अनुरूप हैं जिनके क्षेत्रीय योजना 2021 की अपेक्षा भिन्न परिप्रेक्ष्य वर्ष हो सकते हैं परन्तु यह कि अतिरिक्त क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनताएं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित, यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2015 के अनुरूप होंगी।

17.5क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीकरण विनियम

क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 17.5 में उल्लिखित क्षेत्रीकरण विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हों।

17.6 उपर्युक्त पैरों में किसी बात के होते हुए भी सभी संरक्षण क्षेत्रों की सीमाएं अनंतिम और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी उप-क्षेत्रीय योजनाओं/विकास/मास्टर प्लान द्वारा सत्यापन और विस्तृत ब्योरा के अधीन है।

Map 17.1A National Capital Region (including Additional Areas): Existing Land Use

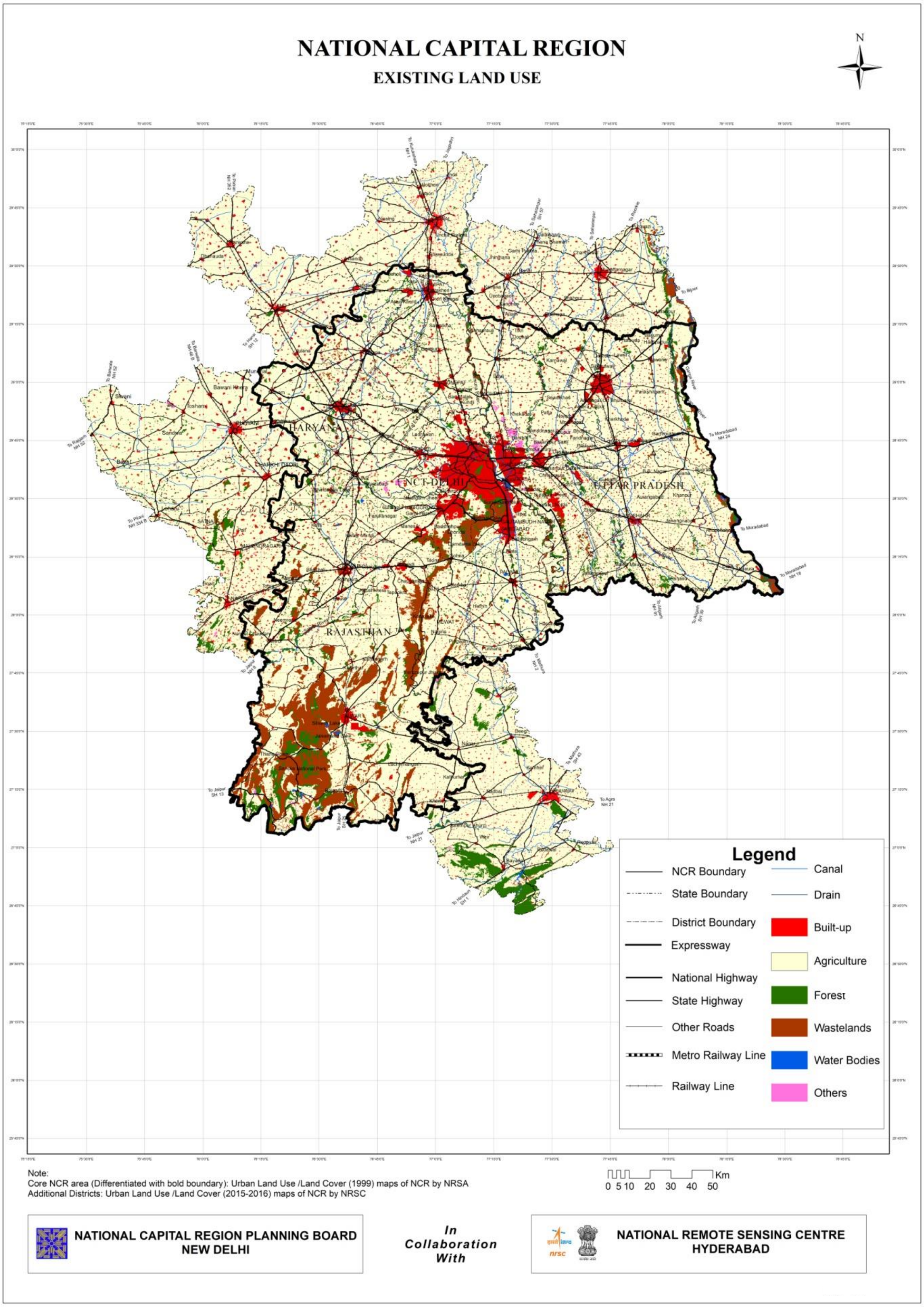

Note: Map to be referred for additional areas

Map 17.2A National Capital Region (including Additional Areas): Proposed Land Use -2021

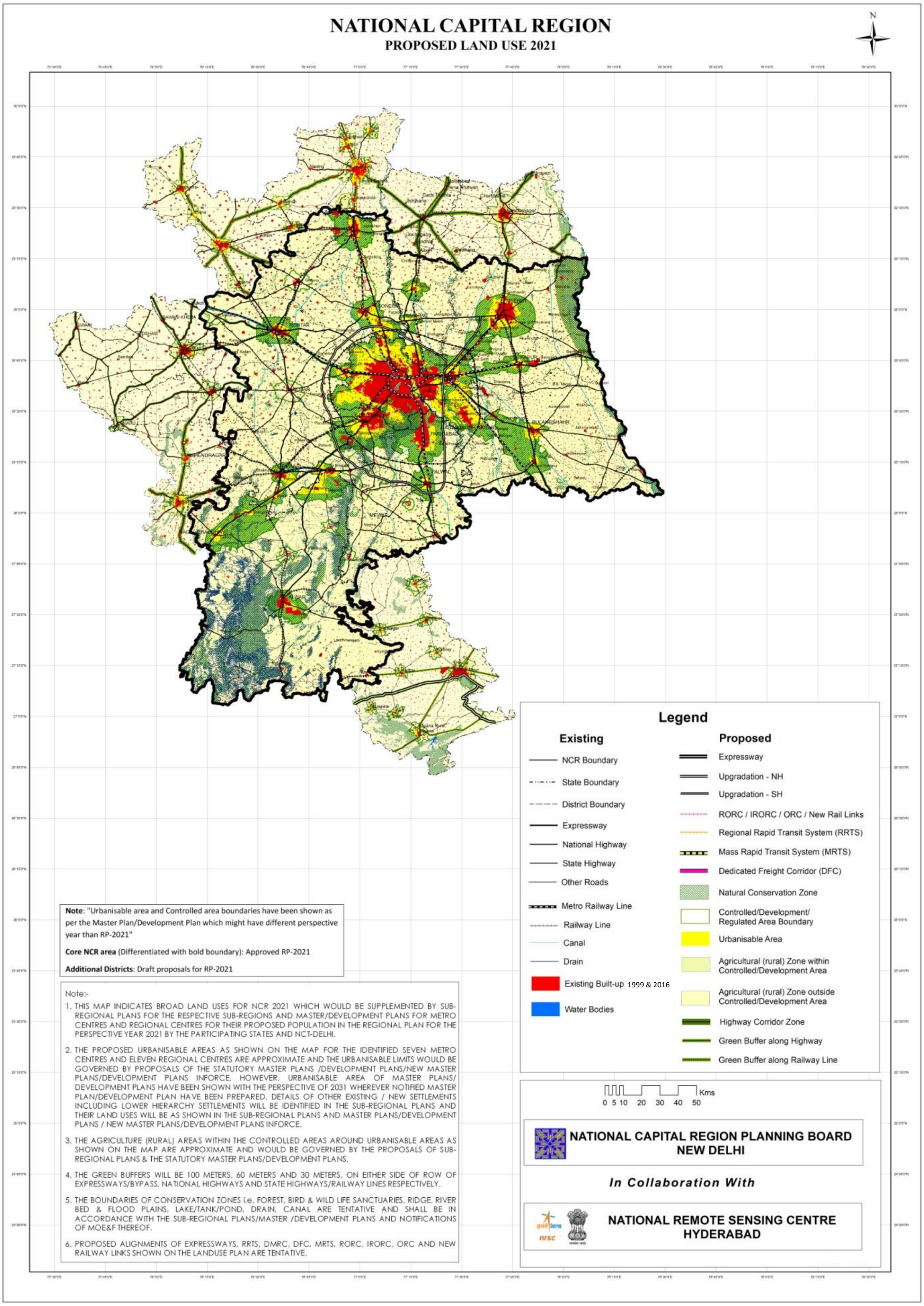

Note: Map to be referred for additional areas

अध्याय 18 काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

18.3क काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान

दिनांक 17.09.2005 को क्षेत्रीय योजना 2021 की अधिसूचना के पश्चात निम्नलिखित तीन नगरों/शहरों की पहचान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) के रूप में की गई जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 11.11.2009 को हुई अपनी 31वीं बैठक में अनुमोदित किया गया:

i) हरियाणा में अंबाला
ii) उत्तराखंड में देहरादून
iii) उत्तर प्रदेश में कानपुर

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि सीएमए शहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तथा कारीडोर के भी रूप में विकास का प्रस्ताव किया जा सकता है। संबंधित राज्य सरकारें अपने सीएमए को अधिसूचित करेंगी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए विकास योजना/मास्टर प्लान और कार्य योजना तैयार करेंगी।

तत्पश्चात 01.07.2013 को हुई अपनी 33वी बैठक में बोर्ड ने जयपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएमए के रूप में अनुमोदित किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में कोई भी सीएमए शामिल नहीं है। मानचित्र 18.1क में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए चिन्हित काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों को दर्शाया गया है।

18.7क अतिरिक्त चिन्हित सीएमए के लिए प्रस्ताव तथा अनुशंसाएं

क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 18.7 में उल्लिखित प्रस्ताव और अनुशंसाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चिन्हित सीएमए पर लागू हों।

Map 18.1A National Capital Region: Counter Magnet Areas

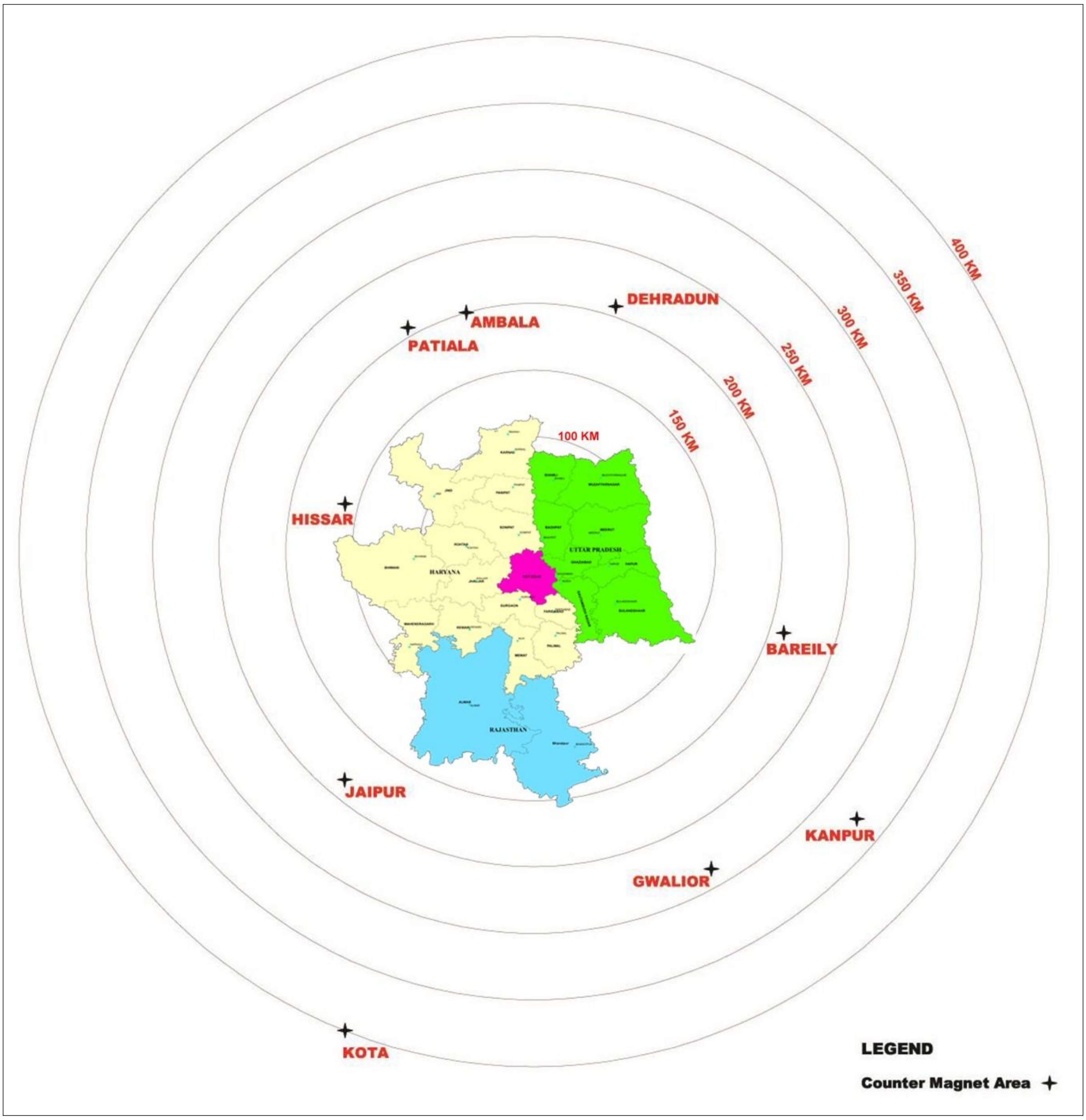

अध्याय 19: कार्यान्वयन कार्यनीतियां, प्रबंधन संरचना और संसाधन संग्रहण

क्षेत्रीय योजना 2021 के क्रमशः पैरा 19.1, 19.2 तथा 19.3 में उल्लिखित कार्यान्वयन कार्यनीतियां, प्रबंधन संरचना और संसाधन संग्रहण अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू हो।